रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1541] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2014/श्रावण 6, 1936
No. 1541] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2014/SHRAVANA 6, 1936

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2014

का.आ. 1915(अ). —चूंकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे आगे इसमें उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2147 (अ) के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, आइजॉल को उक्त अधिनियम की धारा 11, उप धारा (1) के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण मिजोरम राज्य में अनुसूचित अपराधों के विचारण के क्षेत्राधिकार से युक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था;

तथा चूंकि, श्री के.एल. लिआना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आइजॉल, जिन्हें दिनांक 19 अगस्त, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 19 अगस्त, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2494 (अ) द्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: इस कारण केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19 अगस्त, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 19 अगस्त, 2013 की अधिसूचना सं.का.आ. 2494 (अ) का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई हों या करने हेतु छोड़ दी गई हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी

उच्च न्यायालय, आइजॉल बेंच, आइजॉल की सिफारिश पर श्री आर. थंगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायाधीश के तौर पर एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI(IV) (भाग-1)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2014

S. O. 1915(E).–Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S. O. 2147 (E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of District and Sessions Judge, Aizawl as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Mizoram for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri K.L. Liana, District and Sessions Judge, Aizawl, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S. O. 2494 (E), dated 19th August, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th August, 2013, has been transferred.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the said Act and in supersession of the notification number 2494 (E), dated 19th August, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th August, 2013, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of Gauhati High Court, Aizawl Bench, Aizawl, hereby appoints Shri R. Thanga, District and Sessions Judge, Aizawl as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV) (Part-1)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.